इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेशा राजपत्र

## ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 149]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जून 2024-ज्येष्ठ 24, शक 1946

### विधि और विधायी ( निर्वाचन ) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 जून 2024

फा. क्र. 84(03)—2024—चार—वि.निर्वा.—134.— भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्र. 100-MP-LA-1-2024(Bye), दिनांक 14 जून 2024 का हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

राजेश कुमार कौल, सचिव.

#### भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, तरीख 14 जून 2024-24 ज्येष्ठ, 1946 (शक)

#### अधिसूचना

100/म.प्र.-वि.स./1/2024(उ.नि.) — यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 123-अमरवाड़ा (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री कमलेश प्रताप शाह के त्यागपत्र के परिणामस्वरूप उनका स्थान दिनांक 29 मार्च, 2024 को रिक्त हो गया है; और

- 2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150, 30 एवं 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वाराः-
- (अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 123-अमरवाड़ा (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 15 जुलाई, 2024 से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से राज्य की किसी भी अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;
- (आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है;

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः

21 जून, 2024 (श्क्रवार)

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीखः

24 जून, 2024 (सोमवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम

तारीखः

26 जून, 2024 (बुधवार)

(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक

हुआ तो मतदान होगाः

10 ज्लाई, 2024 (ब्धवार)

(इ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन

सम्पन्न करा लिया जाएगाः

15 ज्लाई, 2024 (सोमवार): और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह से 6.00 बजे अपराह तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा ।

आदेश से, हस्ता./

(अमित कुमार)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

#### **ELECTION COMMISSION OF INDIA**

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 14th June, 2024 - 24 Jyaishtha, 1946 (Saka)

#### **NOTIFICATION**

No. 100/MP-LA/1/2024 (Bye): WHEREAS, the seat of Shri Kamlesh Pratap Shah in the Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh, elected from 123-Amarwara (ST) Assembly Constituency in the State, has become vacant on 29<sup>th</sup> March, 2024, by reason of his resignation; and

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby-
- (A) calls upon the said 123-Amarwara (ST) Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 15<sup>th</sup> July, 2024 and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, belonging to any of the Scheduled Tribes of the State, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- (B) Appoints, with respect to the said election-

(a)	Last date for Filling of Nominations:	21 <sup>st</sup> June 2024 (Friday)

(d) Date of Poll on which a poll shall,

if necessary, be taken: 10<sup>th</sup> July, 2024 (Wednesday)

(e) Date before which the election shall be completed: 15<sup>th</sup> July, 2024 (Monday) and:

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./(AMIT KUMAR)
Secretary,
Election Commission of India.